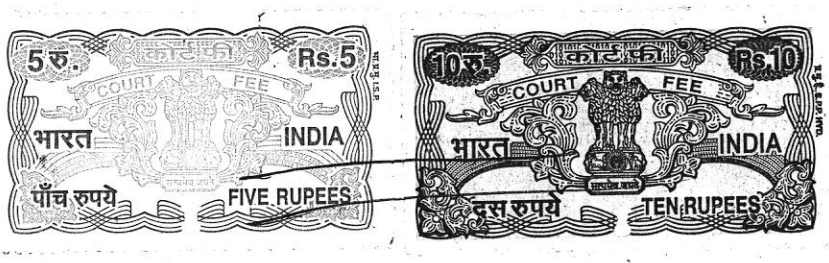

49

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2015 रिवीजन निगरानी 1581-II-15

रामकृष्ण पुत्र स्व. श्री तोफान सिंह आयु 32 साल, व्यवसाय कृषि , निवासी ग्राम अमरोद सिगराना तहसील नई सराय जिला अशोक नगर ग्वालियर

.... आवेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 12-6-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह रघुवंशी निवासी अमरोद सिगराना तहसील नई सराय जिला अशोक नगर म.प्र.
2. कुसुमल बाई पत्नी भवानी सिंह रघुवंशी निवासी महिदपुर तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर

..... अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त नई सराय तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर म.प्र. प्रकरण क्रमाक 9/ अ– 6/ 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

"क्रमांक-1"

1. यहकि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायसालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि ग्राम अमरौद सिगराना सर्वे नं. 153/4 रकबा 0.288 है. सर्वे क्रमांक 153/4 रकबा 0.230 हे.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1531–दो / 2015 जिला अशोकनगर

रामकृष्ण विरूद्ध रविन्द्रसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2015	आवेदक अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक ने तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की कि विकेता कुसुमबाई उसकी सगी बुआ है और कुसुमबाई से आंवेदक का दो लाख रूपये अग्रिम देकर विवादित भूमि का सौदा तय हुआ था और विवादित भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। आवेदक का विवादित भूमि पर 10 साल कब्जा है। कुसुमबाई ने विवादित भूमि अनावेदक कमांक 1 को विकय कर दी, अतः नामांतरण निरस्त करने बावत आपत्ति को नायब तहसील ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया। नायब तहसीलदार ने नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की है और अंतरिम आदेश दिनांक 15–4–15 में यह निष्कर्ष निकाला है कि नामान्तरण की	

कार्यवाही तब तक स्थगित रखना उचित नहीं होगा जब तक सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त न हो। अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। किसी वरिष्ठ अथवा सक्षम न्यायालय के स्थगन के बिना न्यायालय के कार्यवाही को रोकना उचित नहीं मानने में नायब तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य